न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

सुभाष कुमार प्रो0 मे0 राहुल राईस मिल बनाम राज्य सरकार एवं अन्य

विविध वाद संख्या–71/2013–14

22.11.13

प्रस्तुत वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर C.WJ.C. NO-4095/2013 मे0 राहुल राईस मिल बनाम राज्य सरकार एवं अन्य याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक–27.9.13 में दिए गये निदेश के आलोक में राहुल कुमार द्वारा समर्पित आवेदन के आधार पर प्रारम्भ करते हुए जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को प्रति उत्तर पत्र दाखिल करने हेतु सूचना निर्गत कर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि अधिप्राप्ति वर्ष 2011–12 में उनके द्वारा 6032.40 क्वीं0 धान S.I.O एवं R.T. Note पर हस्ताक्षर कर प्राप्त किए हैं, जिसके विरूद्ध उन्हें 4041.70 क्वीं0 C.M.R राज्य खाद्य निगम को देना था परन्तु राज्य खाद्य निगम के द्वारा चावल का उठाव नहीं किया गया। विद्वान अधिवक्ता के द्वारा कहा गया कि राज्य खाद्य निगम की ओर से परिवहन की व्यवस्था नहीं की गई। विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि राज्य खाद्य निगम की ओर से नियमों का उल्लंघन करते हुए सर्वप्रथम धान दिया गया जबकि एकरारनामा के शर्त्त के आलोक में मिलर के द्वारा चावल देने के बाद धान देने पर सहमति हुई थी। आवेदन के द्वारा बताया गया कि उन्हें अच्छी गुणवत्ता का धान प्राप्त नहीं हुआ था, जिसके कारण तैयार C.M.R भारतीय खाद्य निगम द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। इसीलिए आवेदनकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि आवेदक के विरूद्ध दायर नीलाम पत्रवाद वैध एवं विचारणीय नहीं है क्योंकि आवेदक के द्वारा राज्य सरकार की सम्पत्ति का गबन नहीं किया गया है। आवेदक ने यह भी बताया है कि उनके मिल से तैयार C.M.R का उठाव नहीं करने के कारण धान एवं चावल खराब हो गया, जिसके लिए राज्य खाद्य निगम दोषी है।

जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मोतिहारी की ओर से विद्वान अधिवक्ता के द्वारा, आवेदक द्वारा समर्पित तर्कों का विरोध करते हुए कहा कि आवेदक के द्वारा प्राप्त धान राज्य सरकार की सम्पत्ति है क्योंकि अधिप्राप्ति वर्ष 2011–12 में भारत सरकार एवं राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में धान की खरीद की गई, जिसे आवेदक ने S.I.O एवं R.T. Note के माध्यम से बिना किसी विरोध के प्राप्त किया है। अधिप्राप्ति वर्ष 2011–12 में आवेदक द्वारा S.I.O एवं R.T. Note पर हस्ताक्षर कर 6032.40 क्वीं0 धान प्राप्त किए हैं, जिसके विरूद्ध आवेदक को एकरारनामा की शर्त्त संख्या–9 के आलोक में भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्धारित अंतिम समय सीमा दिनांक–30.4.13 तक 4041.70 क्वीं0 C.M.R जमा करना था, जिसके विरूद्ध आवेदक के द्वारा शून्य C.M.R भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में जमा किया गया। आवेदनकर्त्ता द्वारा धान की गुणवत्ता पर धान प्राप्त करने के समय प्रश्न नहीं उठाया गया बल्कि बिना विरोध के स्वीकार किया गया। विद्वान अधिवक्ता के द्वारा कहा गया कि राज्य सरकार के पत्र संख्या–629 दिनांक–24.1.12 जो एकरारनामा के शर्त्त के आलोक में है, के द्वारा किसान एवं मिलर के हित में

सर्वप्रथम धान दिया गया, जिससे एकरारनामा का उल्लंघन नहीं होता है। विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह भी बताया गया कि आवेदक के द्वारा अपने स्तर से उपलब्ध कराये गये परिवहन से ही धान प्राप्त किया। जबकि तैयार C.M.R के उठाव के लिए राज्य खाद्य निगम की ओर से समय–समय पर परिवहन की व्यवस्था की गई परन्तु आवेदक द्वारा C.M.R भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में जमा नहीं कराया गया। विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह भी कहा गया कि एकरारनामा की शर्त्त संख्या–9 के आलोक में आवेदक/मिलर का पूर्ण दायित्व था कि तैयार C.M.R भारतीय खाद्य निगम में पहुँचाएँ एवं उनके लिए राज्य खाद्य निगम की ओर से परिवहन की व्यवस्था की जाएगी जो कि राज्य खाद्य निगम की ओर से समय पर परिवहन की व्यवस्था की गई। विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह भी कहा गया कि आवेदक के द्वारा 4041.71 क्वीं0 C.M.R का भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्धारित मूल्य 1903.13 रूपये प्रति क्वीं0 की दर से 7691899.55 रूपये के वसूली के लिए आवेदक के विरूद्ध दायर नीलाम पत्रवाद की धारा–8A (संशोधित अधिनियम) बिहार एवं उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकॉभरी एक्ट के अन्तर्गत वैध एवं विचारणीय है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्य एवं मूल संचिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा प्राप्त धान राज्य सरकार की सम्पत्ति है क्योंकि भारत सरकार के पत्र 192 दिनांक–11.11.12 एवं राज्य सरकार के पत्र 9624 दिनांक–7.12.2011 से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा प्राप्त धान राज्य सरकार की सम्पत्ति है। मूल संचिका से स्पष्ट है कि S.I.O एवं R.T. Note में 6032.40 क्वीं0 धान बिना किसी विरोध के प्राप्त किए हैं, जिसके विरूद्ध एकरारनामा की शर्त्त संख्या–9 के आलोक में आवेदक को 4041.70 क्वीं0 C.M.R भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्धारित अंतिम समय सीमा 30.4.13 तक भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में जमा करना था, जिसका आवेदक द्वारा उल्लंघन करते हुए राज्य सरकार की कुल सम्पत्ति 4041.70 क्वीं0 C.M.R का गबन किया गया, जिसका भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्धारित मूल्य 1903.13 रूपये की दर से कुल–7691899.55 रूपये के वसूली के लिए आवेदक के विरूद्ध दायर नीलाम पत्रवाद धारा–धारा–8A (संशोधित अधिनियम) बिहार एवं उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकॉभरी एक्ट के तहत वैध एवं विचारणीय है।

अतः आवेदक द्वारा समर्पित आवेदन की पूर्ण समीक्षा करते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत वाद को निष्पादित किया जाता है। साथ ही वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

Seen
Vijay Kumar
26.11.13

लेखापित एवं शुद्धित,

जिला दण्डाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी।

जिला दण्डाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी।

2